Ram Niwas Bansal r. State Rank of Patiala & another
(Svvatanter Kumar J.)(F.B.)

एच. एस. बरार, के. एस. कुमारन और स्वतंत्र कुमार, जेजे के सामने

राम निवास बंसल,-याचिकाकर्ता

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य,-उत्तरदाता

1986 का सी. डब्ल्यू. पी. 4929

22एन.मई। 1998

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979-विनियम 70 अपील का अधिकार प्रदान करता है-व्यक्तिगत शीर्षक के लिए कोई प्रावधान नहीं-मैक्सिम ऑडी अल्टेरम पार्टेम-की प्रयोज्यता-पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं-पारित दंड का आदेश-आदेश की वैधता।

अभिनिर्धारित किया गया कि विनियमन 70 की भाषा पर, अपराधी, अधिकारी को अपीलीय स्तर पर सुनवाई के लिए पूछने का अधिकार होगा। ऐसा अधिकार आवेदक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से प्राप्त होता है। ऑडी अल्टेरम पार्टेम के सिद्धांत का पालन न करना जहां अपराधी अधिकारी द्वारा इसकी मांग की जाती है, स्वयं अपराधी अधिकारी के मामले के लिए प्रतिकूल होगा और 'ऐसी व्यापक शक्तियों और विवेकाधिकार का प्रयोग करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

(पैरा 47)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि महाप्रबंधक की टिप्पणियों की प्रति कभी भी अपराधी अधिकारी को नहीं दी गई थी, इसलिए उन्हें इस दस्तावेज को देखने का अवसर कभी नहीं मिला, जिस पर स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से विचार किया गया है। विवादित आदेश सभी 3 आरोप पत्रों का संचयी परिणाम है और महाप्रबंधक की टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से मुद्दे से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता को ऐसे भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत न करना भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।

कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार किए गए दस्तावेज़, जिसकी प्रति उसे नहीं दी गई थी, को सजा के आदेश का आधार बनने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से निष्पक्ष खेल के विपरीत होगी।

(पैरा 53)

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता पी. एस. पटवालिया*

जे. एस. नारंग, पी. डी. मेहता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ अधिवक्ता

प्रतिवादीओं की ओर *से अधिवक्ता डी. एस. कामरा*

निर्णय

स्वतंत्र कुमार, जे.

(1) इस रिट याचिका में पूर्ण पीठ के विचारार्थ आने वाला सटीक प्रश्न यह है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 70 में विभागीय कार्यवाहियों में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष किसी अपराधी अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार प्रदान करने वाले विशिष्ट उपबंध के अभाव में न्यायालय ऐसे नियम को पढ़ेगा और अधिकतम ऑडियो आल्टरम पक्ष के आवेदन पर ऐसी सुनवाई का अधिकार प्रदान करेगा?

(2) उपरोक्त उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने से पहले बुनियादी तथ्यों का संदर्भ आवश्यक होगा। याचिकाकर्ता वर्ष 1962 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल हुआ; 1971 में ग्रेड-II अधिकारी और वर्ष 1977 में ग्रेड-I अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 20 अक्टूबर, 1980 को जब याचिकाकर्ता नरवाल में लेखाकार के रूप में काम कर रहा था, दिनांक 20 अक्टूबर, 1980 का आरोप पत्र याचिकाकर्ता को सौंपा गया था और इसके बाद 15 जनवरी, 1981 और 8 जनवरी, 1982 के पूरक आरोप पत्र जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने आरोप पत्रों में अपना जवाब प्रस्तुत किया। श्री देव राज वर्मा को 21 जनवरी, 1981 को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जाँच पूरी हो गई और जाँच

अधिकारी ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। याचिकाकर्ता का दावा है कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को जांच कार्यवाही के समापन पर लिखित या मौखिक रूप से दलीलें देने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी पाया गया। महाप्रबंधक (संचालन) ने याचिकाकर्ता को दिनांक 23 अप्रैल, 1985 के आदेश की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक द्वारा पारित आदेश के बारे में सूचित किया जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ सेवा से हटाने का जुर्माना लगाया गया था। पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के विनियम 70 के तहत, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण में अपील को प्राथमिकता दी, जिसे भी खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी।

(3) याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि सजा के विवादित आदेश के पारित होने से पहले जांच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी। इसके अलावा यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलीय प्राधिकरण ने इस तथ्य के बावजूद याचिकाकर्ता को सुनवाई प्रदान नहीं की कि इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा एक विशिष्ट अनुरोध किया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश केवल इन्हीं आधारों पर अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। यह बताने के लिए कई अन्य आधार भी उठाए गए हैं कि आदेश गैर-भाषी और गुप्त था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और जांच अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जांच नहीं की है।

(4) उत्तरदाताओं द्वारा जवाब दायर किया गया था-जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जांच प्राकृतिक न्याय के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार की गई है। यह कहा गया था कि याचिका के खिलाफ आरोप वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित थे और बहुत गंभीर प्रकृति के थे और इस तरह सजा के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। एक प्रारंभिक आपत्ति यह भी ली गई कि याचिकाकर्ता के पास समीक्षा प्राधिकरण यानी निदेशक मंडल के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर करने के लिए कानून के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और इस तरह का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

(5) जवाब में यह विवादित नहीं है कि सजा का विवादित आदेश पारित

करने से पहले याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई थी और अपील प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई नहीं दी गई थी।यह कहा गया था कि विनियमों के विनियम 70 के प्रावधान याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं देते हैं, और इस तरह प्रतिवादी द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(6) उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर माननीय न्यायमूर्ति वी. के. बाली ने मामले की सुनवाई करते हुए इस न्यायालय के निर्णयों में न्यायिक राय का टकराव पाया और दिनांक 1 अक्टूबर 1993 के आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए मामले को वृहद पीठ को भेज दिया —

> "चूंकि एक वैधानिक अपील में सुनवाई की आवश्यकता के बारे में व्यक्त की गई राय के संबंध में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए दो निर्णयों में स्पष्ट संघर्ष है, इसलिए मामले पर एक बड़ी बेंच द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। एस. एल. लूना बनाम पंजाब नेशनल बैंक और एक अन्य खंड पीठ के मामले में श्री निज्जर की इस दलील पर गौर करने के बाद कि पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के विनियम 17 के तहत और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने की आवश्यकता है, पीठ ने कहा कि उक्त तर्क सही नहीं था। ऐसा अभिनिर्धारित करते समय, भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय और एक अन्य बनाम तुलसीराम पटेल, पर निर्भरता रखी गई थी। एम. एस. चौहान बनाम भारत राज्य और अन्य, 1985 सेवा विधि रिपोर्ट 684 में, जो फिर से इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा एक निर्णय है, अधिवक्ता के इस तर्क पर ध्यान देने के बाद कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा नियम 51 के उप-नियम (2) के तहत व्यक्तिगत सुनवाई की परिकल्पना की गई है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम की भाषा से यह संकेत नहीं मिलता है कि अपीलीय प्राधिकरण को अपील दायर करने वाले कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई देने की आवश्यकता थी। जैसा कि पहले देखा गया है, दोनों निर्णयों के बीच सीधा टकराव है। इस मामले के कागजात एक बड़ी पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाएं।"

(7) इस मामले को निर्णय के लिए पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया है,

जिसमें पूर्व-निर्दिष्ट संदर्भ आदेश से विचार के लिए उभरने वाला प्रश्न भी शामिल है।इससे पहले कि हम वर्तमान मामले के गुण-दोष के बारे में खुद को सूचित करें, हम सबसे पहले उस मूल प्रश्न का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो कानून के सिद्धांत के रूप में विचार के लिए आता है।जहाँ कहीं भी कोई नियम जो अपचारी अधिकारी को अपील करने के लिए सक्षम बनाता है, यह अभिनिर्धारित करता है कि अपचारी अधिकारी को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, अधिकारी स्पष्ट रूप से दोषी अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य हैं।हालाँकि, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बीच राय का टकराव उस मामले से संबंधित है जहाँ नियम विशेष रूप से अपचारी अधिकारी को सुनवाई के अधिकार का प्रावधान नहीं करता है, इससे पहले कि अपीलीय प्राधिकरण योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करे।

(8) शुरुआत में हमारे लिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 70 का उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है।—

70. (1) एक अधिकारी विनियमन 69 में निर्दिष्ट निलंबन के आदेश के विरुद्ध विनियमन 67 में विनिर्दिष्ट दंडों में से कोई भी उस पर अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपील दायर की जाएगी। अपील को अपीलीय प्राधिकरण को संबोधित किया जाएगा और उस प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। अधिकारी, यदि चाहता है, तो अपीलीय प्राधिकरण को एक अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकता है, अपीलीय प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या निष्कर्ष उचित हैं और/या क्या जुर्माना अत्यधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपीलीय प्राधिकरण जुर्माने की पुष्टि करने, बढ़ाने, कम करने या अलग करने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को उस प्राधिकरण को भेज सकता है जिसने जुर्माना लगाया था या किसी भी प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों के साथ जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है।

बशर्ते कि:

(i) यदि वर्धित दंड जिसे अपीलीय प्राधिकरण अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है, विनियमन 67 के खंड (ङ) (च) और (ज) में विनिर्दिष्ट एक प्रमुख दंड है और विनियमन 68 के उप-विनियमन (2) में यथा उपबंधित जांच पहले ही मामले में आयोजित नहीं की गई है, तो अपीलीय प्राधिकरण निदेश देगा कि ऐसी जांच विनियमन 68 के उप-विनियमन (2) के प्रावधानों के अनुसार की जाए और उसके पश्चात् जांच के अभिलेखों पर विचार किया जाए और ऐसे आदेश पारित किए जाएं जो वह उचित समझे;

(ii) यदि अपीलीय प्राधिकरण दंड को बढ़ाने का निर्णय लेता है, लेकिन विनियमन 68 के उप-विनियमन (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपीलीय प्राधिकरण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों नहीं बढ़ाया गया जुर्माना उस पर लगाया जाना चाहिए और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा;

(iii) जहां अधिरोपित किया जाने वाला प्रस्तावित वर्धित दंड विनियम 67 के खंड (ङ) (च) (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट एक प्रमुख दंड है और अपीलीय प्राधिकरण उन अधिकारियों की श्रेणी के संबंध में, जिनसे अधिकारी संबंधित है, नियुक्ति प्राधिकरण के समान या उससे उच्चतर पद का नहीं है, वहां वह नियुक्ति प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों के साथ कार्यवाहियों का अभिलेख प्रस्तुत करेगा और नियुक्ति प्राधिकरण अपील पर ऐसे अंतिम आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे।

(3) किसी भी बात के होते हुए भी 11 इस खंड में, एफ. समीक्षा प्राधिकरण मामले के रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकता है अंतिम आदेश की तारीख के छह महीने और।मामले की समीक्षा करने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

XX XX XX XX

(9) बेशक, इस याचिका में हमारे सामने विनियमन 70 के अधिकारों को कोई चुनौती नहीं है, इस न्यायालय की विभिन्न माननीय पीठों द्वारा इस नियम की व्याख्या या अन्य मामलों में ऐसे समान नियमों के संबंध में व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचार कुछ सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को जन्म देते हैं, इसलिए, प्रश्न का उत्तर देने और ऊपर उल्लिखित अलग-अलग न्यायिक राय को हल करने के लिए, हमें यह जांचना होगा कि क्या इस तरह के

सुनवाई के अधिकार को अनिवार्य माना जाएगा और विनियमन 70 की भाषा को ध्यान में रखते हुए नियम में पढ़ा जाएगा।

(10) किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अधिकार मूल रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उभरता है। प्राकृतिक न्याय की व्यापक अवधारणा और अर्थ से संबंधित इतिहास ने सुनवाई के अधिकार को प्राकृतिक न्याय के विस्तारित सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। प्राकृतिक न्याय, जैसा कि इसकी आम बोलचाल में समझा जाता है, मौलिक समानता और निष्पक्षता का प्रतीक है जिसे किसी भी कार्रवाई में अपनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय की आत्मा कार्रवाई में निष्पक्षता है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को संक्षिप्त या सटीक परिभाषा देना निरर्थकता की दिशा में प्रयास करना होगा। प्राकृतिक न्याय को अनिवार्य रूप से प्राकृतिक कानून के बराबर नहीं ठहराया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कानून या प्रक्रिया के औपचारिक या तकनीकी नियम के विपरीत समझा जाना चाहिए। जनरल मेडिकल काउंसिल बनाम स्पैकनम के मामले में लॉर्ड राइट द्वारा यह संकेत दिया गया था, (1) कोई व्यक्ति 'प्राकृतिक न्याय और कानूनी न्याय का एक अच्छा अंतर पाता है जिसे तपश गण चौडलनीरी ने अपनी पुस्तक' प्राकृतिक न्याय का पेनल्जम्ब्रा 'में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है

"5. प्राकृतिक न्यायाधीश और कानूनी न्यायाधीश-सहसंबंधः—

प्राकृतिक न्यायाधीश जब कानून द्वारा अधिकृत रूप से तैयार किया जाता है तो कानूनी न्यायाधीश बन जाता है।"प्राकृतिक न्याय" और "कानूनी न्याय" अभिव्यक्ति एक जलरोधक वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं करती है।यह न्यायाधीश का सार है जिसे दोनों द्वारा सुरक्षित किया जाना है और जब भी कानूनी न्यायाधीश उस गंभीर उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो प्राकृतिक न्यायाधीश को कानूनी न्यायाधीश की सहायता के लिए बुलाया जाता है और इसमें भी यह कानूनी न्यायाधीश को अनावश्यक तकनीकी और तार्किकता से मुक्त करता है।पूर्वपरिवर्तन और एक तैयार किए गए कानून की चूक प्रदान करता है।

(11) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (2) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय को निष्पक्ष खेल के एक पहलू के रूप में परिभाषित किया और इसे "कार्रवाई में निष्पक्ष खेल से प्रेरित और निर्देशित

न्याय की प्रक्रिया की सर्वोत्कृष्टता" के रूप में परिभाषित किया, जबकि एक अन्य स्थिति में इसे "कानून की उचित प्रक्रिया के आसवन" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय अभिव्यक्ति को हमेशा समझा गया है और कानून या प्रक्रिया के सिद्धांतों की अनुमति देने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पीछे की भावना को नष्ट करने के बजाय न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक अर्थ दिया गया है, जो अंततः न्याय के उचित प्रशासन में बाधा डालेगा। जब भी कोई अपराधी अधिकारी उस पर जुर्माना लगाने वाले किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद करता है, और ऐसी अपील एक वैधानिक अपील है, तो ऐसी अपील की सुनवाई की जानी चाहिए और प्राकृतिक न्याय के तय किए गए सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लिया जाना चाहिए। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और दुनिया भर में अन्य विभिन्न कानूनी प्रणालियों में उस मामले के लिए घरेलू प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और विशेष रूप से अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले प्राधिकरणों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदक को स्वीकार किया है।अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए आम तौर पर तीन घटकों को ध्यान में रखना होगा जब ऐसे प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाती हैः

(a) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसके समक्ष अभिलेखों का उचित प्रयोग और जांच होनी चाहिए ताकि वह नियमों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि दर्ज कर सके।

(b) उसे एक ऐसा बोलने वाला आदेश पारित करना चाहिए जो कम से कम प्रथम दृष्टया यह दर्शाए कि संबंधित प्राधिकारी ने अपने सामने उठाए गए विभिन्न विवादों या राष्ट्र को रोकने के मुद्दों पर अपना दिमाग लगाया है।इसके अलावा यह विशेष रूप से जांच की गई है कि क्या लगाया गया जुर्माना अत्यधिक और/या अपर्याप्त है।

(c) की प्रयोज्यता का दायरा।प्रासंगिक विनियमन/नियम की भाषा के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मैक्सिम दूसरे पक्ष को भी सुनो।

(12) जहाँ तक पहले दो अवयवों का संबंध है, वे विभिन्न उच्चारणों द्वारा से अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं।वे वर्तमान मामले में सीधे निर्धारण के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं।इसलिए हम करते हैं।_आगे किसी भी स्पष्टीकरण में

उन पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।यह तीसरा घटक है और इसकी प्रयोज्यता जो निर्धारण के लिए उपयुक्त प्रश्न है।दूसरे पक्ष को भी सुनो का अर्थ है दूसरे पक्ष को सुनना; दोनों पक्षों को सुनना।दूसरे शब्दों में, मामले की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को उस पक्ष को सुनना चाहिए जिसके निर्णय से प्रभावित होने की संभावना है।सुनवाई के अधिकार को सभी सभ्य देशों द्वारा कानून की सम्यक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है जहां व्यक्तियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों या अपमान को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर विचार किया जाता है या निर्णय लिया जाता है।

(13) यह आवश्यक नहीं है कि इस सिद्धांत का पालन करने का कर्तव्य हमेशा और आवश्यक रूप से वैधानिक प्रावधानों से उत्पन्न होना चाहिए, प्रावधानों, विधान की योजना, परिचर परिस्थितियों जैसे कार्यवाही की प्रकृति और अपराधी पर इसके संभावित प्रभाव आदि से भी अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ स्थानों पर जहां कानून सकारात्मक शब्दों के उपयोग से इस तरह के अधिकार का प्रावधान नहीं करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस तरह की चूक की आपूर्ति करेंगे। सुनवाई प्रदान करना क़ानून का एक दायित्व हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में सुनवाई का कर्तव्य क़ानून का एक दायित्व हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में सुनवाई का कर्तव्य प्राकृतिक न्याय के दायित्व के रूप में उत्पन्न हो सकता है। कथित कदाचार के संबंध में एक अपराधी अधिकारी द्वारा अपनी स्थिति की व्याख्या करने के लिए सुनवाई का अधिकार; अनुशासनात्मक प्राधिकरण/जांच अधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष; सामग्री की अपर्याप्तता; और सजा अत्यधिक होना अन्य कारकों के बीच ऐसे कारक हैं, जिन्हें अपराधी अधिकारी प्राधिकरण को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते समय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आवाज उठाना चाहेगा। ऑडी अल्टेरम पार्टेम का नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अधिक दूरगामी है क्योंकि इसमें निष्पक्ष प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया के लगभग हर सवाल को शामिल किया जा सकता है। इस मूल सिद्धांत की प्रयोज्यता का बहिष्करण विधायिका की ओर से एक पेटेंट नकारात्मक इरादे से उत्पन्न होना चाहिए या जहां इसे उस स्थिति के विशिष्ट तथ्यों में तात्कालिकता के आधार पर बाहर रखा गया है। सुनवाई के लिए याचिका को प्रारंभिक स्तर पर अपरिहार्य माना गया है और अपीलीय स्तर पर इस तरह के सिद्धांत का विस्तार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उचित अनुप्रयोग भी होगा।

(14) विनियमन विनियम 70 के विनियम के तहत व्यापक शक्ति और

विवेकाधिकार अपीलीय प्राधिकरण में निहित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य हैः

(क) निष्कर्ष न्यायोचित हैं या नहीं;

(ख) क्या दंड अत्यधिक है या अपर्याप्त है; और

(ग) वह दंड की पुष्टि करने, बढ़ाने, कम करने या एक पक्ष निर्धारित करने या मामले को उस प्राधिकरण को प्रेषित करने का कोई आदेश पारित कर सकता है, जिसने दंड लगाया है, या कोई अन्य प्राधिकरण, जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

(15) विनियमन आगे बड़ा जुर्माना लगाने या जुर्माना बढ़ाने की स्थिति में कुछ प्रतिबंध लगाता है।अपीलीय प्राधिकारी में निहित विवेकाधिकार के परिमाण को आसानी से सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले प्रथम अपील न्यायालय के बराबर माना जा सकता है।दूसरे शब्दों में, अपीलीय प्राधिकरण तथ्य और कानून का एक प्राधिकरण है जो व्यापक विवेक के साथ सजा की मात्रा में भी हस्तक्षेप करता है।

(16) यह निस्संदेह सत्य है कि संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आधार हैं; अपील का ज्ञापन या वे अभिलेख हो सकते हैं जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष थे। अपीलीय प्राधिकारी से ऐसे अभिलेखों की इतनी सटीकता और संपूर्णता के साथ जांच करने की अपेक्षा करना कि वह अपराधी अधिकारी को सुनने के दायित्व को समाप्त कर दे, न केवल असंभव प्रतीत होता है, बल्कि अस्वीकार्य भी है। इसका परीक्षण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पर्याप्त अनुपालन की कसौटी से किया जाना चाहिए जो अकेले न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करना और उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न पक्ष और विपक्षों को उसके संज्ञान में लाना अपराधी अधिकारी के लिए एक उचित संरक्षण है। सुनवाई के अधिकार को कोई विकल्प नहीं मिल सकता है और यह एक दायित्व है, जिसे यदि पूरा नहीं किया जाता है, तो कार्रवाई में न्याय और निष्पक्षता की भावना को प्रभावित करने का प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्षों के न्यायोचित होने या न होने पर निर्णय लेने की अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति के दूरगामी परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में, अपीलीय प्राधिकरण को यह देखने के लिए पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना होगा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष उचित हैं या नहीं। सुनवाई की आवश्यकता इसके निषेध

के बजाय नियमों की मांग प्रतीत होती है।

(17) उपर्युक्त का एक अन्य सहायक परिणाम यह है कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल के निर्णय में स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि न्यायालयों को भी विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों और उस पर लगाए गए दंड में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए, जब तक कि ऐसे निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत न हों या लगाए गए दंड को इतना अनुचित और अनुचित न माना जाए कि यह न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को चोट पहुँचाता है। यह इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के दायरे पर देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का संकेत है। इस संबंध में एन. राजारथिनम बनाम तमिलनाडु राज्य और एक अन्य, बीसी चटगुर्दी बनाम भारत संघ और अन्य, और रायबरेली, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम भोला नाथ सिंह और अन्य के मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है। ये प्रतिपादित सिद्धांत अनुशासनात्मक या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को दी जाने वाली अंतिमता की सीमा को इंगित करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वनाच्छादित विधि से विभागीय प्राधिकारी को प्राप्त होने वाला लाभ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित सम्मान और पालन के साथ अधिक सावधानी और सावधानी के साथ कार्य करने के लिए विभागीय प्राधिकारी पर संबंधित दायित्व को पूर्वनिर्धारित और अधिरोपित करता है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सच्ची भावना और सार के अनुरूप होना चाहिए।

(18) अपने अनिवार्य निहितार्थ से शक्ति का अनुमेय और व्यापक प्रयोग अपने आप में अधिक जिम्मेदारी, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और अपने कर्मचारियों के साथ पर्याप्त न्याय करने के लिए चमकदार उपदेशों के साथ कार्यों का निर्वहन करने का दायित्व लेता है।उपरोक्त नियम में निषेध को पढ़ना और इंगित करना इन प्रावधानों की योजना के विधायी इरादे के अनुरूप नहीं है और विशेष रूप से देश के कानून के अनुरूप नहीं है।नियम का विस्तार यह कहने के लिए किया जा सकता है कि जहां प्राधिकरण विनियमन 70 के उप-नियम (2) के परंतुक (ii) और (iii) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, वहां अपचारी अधिकारी को नोटिस देने के लिए प्राधिकरण पर एक वैधानिक दायित्व रखा जाता है, लेकिन उप-नियम (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने की बाध्यता की मांग की जाती है, तो प्राकृतिक न्यायाधीश

के सिद्धांतों से उत्पन्न अपीलीय प्राधिकरण का दायित्व है।

(19) विभागीय अनुशासनात्मक कार्यों में निष्पक्षता को नियम की भाषा को ध्यान में रखते हुए उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि व्याख्या का कोई भी सिद्धांत सुनवाई से इनकार करने को उचित ठहराएगा।सुनवाई से इनकार करना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह संबंधित कर्मचारियों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।इस स्तर पर उपरोक्त सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाले एक अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण की भविष्यवाणी करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित हो सकता है।चिंतापल्ली एजेंसी तालुक अरैक सेल्स को-ऑप सोसायटी लिमिटेड आदि बनाम सचिव (खाद्य और कृषि) सरकार, आंध्र प्रदेश और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः-

"भले ही अपीलार्थी ने मामले के संबंध में कुछ अभ्यावेदन दायर किए थे, लेकिन यह सरकार को प्रत्यर्थियों के दावे के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अपीलार्थी को नोटिस देने से मुक्त नहीं करेगा। धारा 77 (2) के तहत न्यूनतम आवश्यकता एक नोटिस है जो प्रतिद्वंद्वी को आवेदन के बारे में सूचित करता है और उसे अपनी याचिका में जो भी आरोप लगाया गया है, उसके खिलाफ अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करता है। यह सत्य है कि व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य नहीं है, लेकिन धारा 77 (2) में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की न्यूनतम आवश्यकता यह है कि जिस पक्षकार के अधिकार प्रभावित होने वाले हैं और जिसके विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं और कुछ प्रतिकूल आदेशों का दावा किया गया है, उसे शिकायत या अन्य आपत्ति के आधारों का खुलासा करने वाले प्राधिकरण से कार्यवाही की लिखित सूचना अधिमानतः याचिका की एक प्रति प्रस्तुत करके दी जानी चाहिए, जिस पर कार्रवाई पर विचार किया गया है ताकि एक उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व किया जा सके।"

(20) श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करने पर कि आडी अल्टेरम पार्टेम का सिद्धांत लागू होगा, यहां तक कि जहां क़ानून में कोई सकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, निम्नानुसार देखा गयाः

"हालाँकि क़ानून में कोई सकारात्मक शब्द नहीं हैं कि पार्टी की सुनवाई की आवश्यकता है, फिर भी सामान्य अधिनियम का न्यायाधीश विधायिका की चूक की आपूर्ति करेगा।ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत, जो यह आदेश देता है कि किसी की भी निंदा नहीं की जाएगी, प्राकृतिक न्यायाधीश के नियमों दूसरे पक्ष को भी सुनो है।

प्राकृतिक न्याय एक महान मानवीय सिद्धांत है जिसका उद्देश्य निष्पक्षता के साथ कानून का निवेश करना और न्याय को सुरक्षित करना है और पिछले कुछ वर्षों में यह प्रशासनिक कार्रवाई के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले व्यापक रूप से व्यापक नियम के रूप में विकसित हुआ है। जांच हमेशा होनी चाहिए; क्या कार्रवाई में निष्पक्षता की मांग है कि प्रभावित व्यक्ति को जमाखोरी का अवसर दिया जाना चाहिए?

कानून को अब अच्छी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि एक प्रशासनिक कार्यवाही में भी, जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए।

(21) फिर भी स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक निहितार्थ द्वारा सुनवाई की अवधारणा के बहिष्करण की संभावना पर विचार करते हुए कहा किः

धारा 18-एए स्पष्ट रूप से स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में पूर्व-निर्णायक चरण में ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम के अनुप्रयोग को बाहर नहीं करती है। धारा 18-एए (ए) में वाक्यांश "कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है" अपरिहार्य निहितार्थ से, उन सभी मामलों में निष्पक्षता के इस कार्डिनल कैनन के अनुप्रयोग को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है जहां धारा 18-एए (1) (ए) का आह्वान किया जा सकता है। धारा 18-एफ का पूर्व सुनवाई से संबंधित प्राकृतिक न्याय के नियमों को बाहर करने का प्रभाव भी नहीं है।"

संक्षेप में, निष्पक्षता के इस नियम को बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर समाप्त नहीं किया जाना चाहिए जहां बाध्यकारी आवश्यकता की आवश्यकता होती है। अदालत को

स्थितिजन्य संशोधन के साथ इस मूल नियम को अधिकतम संभव सीमा तक बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसका मूल यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए और सुनवाई एक वास्तविक सुनवाई होनी चाहिए न कि एक खाली जनसंपर्क अभ्यास।"

(22) भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में सिद्धांत विवाद का उत्तर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के अधीन सन्निहित सुख के सिद्धांत और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के खंड 'ग' के दूसरे परन्तुक को ध्यान में रखते हुए ऑडी अल्टेरम पार्टेम का सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर भी इस प्रकार के कार्यों के लिए इस सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उत्पन्न होने वाले इसके महत्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण और टिप्पणियां उल्लेखनीय हैं —

" प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उन्होंने अनुच्छेद 14 में निहित गारंटी के एक भाग के रूप में मान्यता दी है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समानता की अवधारणा के लिए दी गई नई और गतिशील व्याख्या जो उस अनुच्छेद का विषय है। राज्य की कार्रवाई द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यद्यपि प्राकृतिक न्याय के दो नियम, अर्थात्, नेमो जूडेक्स इन कॉज सुआ और ऑडी अल्टेरम पार्टेम, का अब कानून में एक निश्चित अर्थ और अर्थ है और सामग्री और निहितार्थ अच्छी तरह से अवधि के तहत हैं और दृढ़ता से स्थापित हैं, वे कम वैधानिक नियम नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक नियम अलग-अलग स्थितियों की आवश्यकताओं के साथ बदलता है।"

(23) इस सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता, जो कानून के मूल नियम के आवश्यक तत्वों में से एक है, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए अर्थ या व्याख्या को स्वीकार नहीं करती है। उचित अवसर प्रदान करना ही सार है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए

आवश्यक होगा। उचित अवसर में वहन का अधिकार शामिल होगा जब तक कि विशिष्ट अभिव्यक्ति द्वारा क़ानून ऐसे अधिकार को बाहर नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील कानून का निर्माण है, लेकिन विनियमन 70 को इस तरह से नहीं लिखा गया है ताकि सेवा न्यायशास्त्र के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के तहत संरक्षित इस मूल्यवान और बुनियादी अधिकार को अनिवार्य रूप से बाहर किया जा सके। संबंधित प्राधिकारी को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह निष्कर्षों के न्यायोचित होने, सजा के उचित होने और अभिलेख के आधार पर अच्छी तरह से स्थापित होने के संबंध में संतुष्टि पर पहुंचे। इस संतुष्टि को वस्तुनिष्ठ रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और वस्तुनिष्ठता का आधार ही बाधित हो जाएगा यदि सब कुछ केवल प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाए और कर्मचारी को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित करना होगा। कर्मचारी को उसके विरुद्ध मामलों की व्याख्या करने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की उदारता के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उत्पन्न होने वाला यह अच्छी तरह से स्थापित दायित्व अनिवार्य प्रतीत होता है। यह अधिक होगा जहां प्राधिकरण द्वारा शक्ति के इस तरह के प्रयोग के परिणामस्वरूप कर्मचारी पर पड़ने वाले परिणाम सेवा से समाप्ति या निष्कासन के प्रकार के होते हैं।

(24) इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सिद्धांत के तहत उपाय कर्मचारी की इस तरह के लाभों का लाभ उठाने की इच्छा पर निर्भर करता है। जहां कानून या उसके तहत बनाए गए नियम सुनवाई की मंजूरी के मुद्दे पर चुप हैं, तो इस नियम का यह अर्थ लगाना मुश्किल है कि यह आवश्यक निहितार्थ द्वारा ऐसे अधिकार को बाहर करता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शांत करने के लिए सुनवाई का अधिकार आवश्यक है क्योंकि इसका उल्लंघन किसी भी कार्रवाई का उल्लंघन करेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के बिना कानून के शासन की व्याख्या करना भी मुख्य रूप से असंभव है। इस स्तर पर हरनेक सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित हो सकता है जहां न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः

> " अगर हम इस मुद्दे पर चुप हैं, तो हमें यह प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, जिसके बिना कानून के शासन को बनाए रखना असंभव है,

ताकि किसी स्थानांतरिती को कार्यवाही में अपने हित की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जा सके जो संभवतः किसी निर्णय में उसे और उसके संपत्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।"

"उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बिनापानी देई, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1269 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक प्रशासनिक आदेश जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं, उसके खिलाफ मामले के संबंधित व्यक्ति को सूचित करने के बाद प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, उसके समर्थन में सबूत, और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने और साक्ष्य से मिलने या समझाने के बाद। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप हुए बिना लिया गया निर्णय न्याय की मूल अवधारणा के विपरीत होगा और इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस अधिनियम से हम संबंधित हैं, उसके तहत कार्यवाही निर्विवाद रूप से अर्ध-न्यायिक है।

(25) प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता को बिना किसी अपवाद के एक पूर्ण नियम के रूप में व्यक्त किया गया है। यदि प्राधिकरण को तथ्य, साक्ष्य और सजा के मामले में अंतिमता जोड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, तो वास्तव में उस पर पर्याप्त न्याय करने के लिए उच्च स्तर की जिम्मेदारी थोपी जाएगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपीलार्थी की सुनवाई के नियम को बाहर नहीं कर सकता है।

(26) उच्चतम न्यायालय द्वारा वनाच्छादित निर्णयों में घोषित विधि का उद्देश्यहीन विश्लेषण इस दृष्टिकोण को उचित ठहराता है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई का अधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की एक अनिवार्य विशेषता होगी। जब तक कि इस तरह की सुनवाई के अधिकार को स्पष्ट रूप से असंदिग्ध भाषा के उपयोग से बाहर नहीं किया जाता है या इस तरह का निष्कर्ष आवश्यक निहितार्थ के सिद्धांत पर अपरिहार्य है, जबकि कानूनों की व्याख्या के किसी भी स्थापित सिद्धांतों से देखा जाता है। उनमें से कोई भी नियम 70 में मुख्य रूप से अनुपस्थित है। इस तरह के अधिकार से इनकार करने से स्पष्ट रूप से ऐसी कार्यवाही और उस पर

पारित आदेश के परिणाम पर असर पड़ेगा। निश्चित रूप से इस तरह के प्रभाव और उससे होने वाले परिणामों की सीमा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी। राम चंदर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ से इस दृष्टिकोण को मजबूत किया जा सकता है। न्यायालय ने ऐसी सुरक्षा प्रदान करने वाले विशिष्ट नियम के अभाव में भी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अधिकतम ऑडी अल्टेरम पार्टेम की प्रयोज्यता को बरकरार रखा।

(27) राम चंदर बनाम भारत संघ के मामले में रेलवे सेवक नियमों के नियम 22 (2) के निहितार्थ और व्याख्या पर विचार करते हुए, जिसे कुछ हद तक वर्तमान मामले के विनियमन 70 के समान भाषा में लिखा गया था, न्यायालय ने विवेक के उचित प्रयोग पर बोलने वाले आदेशों को पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और टिप्पणी की कि इस आवश्यकता को निर्दिष्ट करने के लिए केवल वाक्यांश का पुनरुत्पादन पर्याप्त नहीं था। माननीय न्यायालय ने आगे बिना किसी अनिश्चित अवधि के कानून निर्धारित किया कि व्यक्तिगत सुनवाई अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक आवश्यक पहलू होगा। टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> “24."इंग्लैंड में न्यायिक राय में काफी उतार-चढ़ाव आया है कि क्या अपील का अधिकार वास्तविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर जोर देने या प्राकृतिक न्याय के पालन का विकल्प है जो न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्य का तात्पर्य है। प्राकृतिक न्याय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार होना चाहिए। यह इस तथ्य का एक अपरिहार्य परिणाम है कि एक वैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि क़ानून ऐसा प्रदान नहीं करता है। प्रोफेसर एच. डब्ल्यू. आर. वेड ने पेज 487 पर अपने प्रशासनिक कानून, 5वें संस्करण में यह कहा है।

“कुछ स्थितियों में, यह बहस योग्य प्रश्न है कि क्या अपील पर आयोजित सुनवाई उस सुनवाई के लिए एक उपयुक्त प्रतिस्थापन है जो पहले निर्णय से पहले या तो अनुचित रूप से दी गई थी या बिल्कुल नहीं दी गई थी? सिद्धांत रूप में ऐसा होना चाहिए कि पहले चरण में न्याय का उल्लंघन किया जाता है, अपील का अधिकार सही प्रारंभिक सुनवाई के रूप में अपील का सही अधिकार नहीं है; अपील के बाद निष्पक्ष सुनवाई के बजाय, प्रक्रिया को

अनुचित सुनवाई और उसके बाद निष्पक्ष सुनवाई तक सीमित कर दिया जाता है।"

ट्रेड यूनियन निष्कासन मामले में हेगेरी जे के कथन का पुनः उल्लेख करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि, एक सामान्य नियम के रूप में, विचारण निकाय में प्राकृतिक न्याय की विफलता को अपीलीय निकाय में प्राकृतिक न्याय की पर्याप्तता से ठीक नहीं किया जा सकता है। विद्वान लेखक ने अवलोकन किया;

"फिर भी यह हमेशा संभव है कि कुछ वैधानिक योजना का अर्थ यह हो कि अपील ही एकमात्र आवश्यक सुनवाई है।

25 तुलसीराम पटेल के मामले में बहुमत द्वारा व्याख्या किए गए 42वें संशोधन के बाद ऐसी कानूनी स्थिति होने के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपीलीय प्राधिकरण को न केवल संबंधित सरकारी कर्मचारी को सुनवाई करनी चाहिए, बल्कि वर्तमान मामले में बोर्ड द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटने के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश भी पारित करना चाहिए, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ेगा। एक वस्तुनिष्ठ विचार केवल तभी संभव है जब अपराधी सेवक को सुना जाए और उसकी अपील पर पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के बारे में प्राधिकरण को संतुष्ट करने का मौका दिया जाए, निष्पक्ष खेल और न्याय पर विचार करने के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसी व्यक्तिगत सुनवाई की जानी चाहिए।"

.(28) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया क्योंकि अपीलीय स्तर पर संबंधित कर्मचारी को कोई सुनवाई नहीं दी गई थी। हमें यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसने या तो राम चंदर के मामले में लिए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है या इस मामले में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया है। प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का तर्क रहा है कि राम चंदर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पंजाब राज्य और अन्य बनाम एस. के. शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है।

(29) इस प्रकार, अब हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा

की गई इस प्रस्तुति के गुण-दोष पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एस. के. शर्मा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अध्यक्षों ने राम चंदर के मामले की शुद्धता या अन्यथा पर न तो उल्लेख किया और न ही टिप्पणी की। दूसरा, एस. के. शर्मा के मामले में, उनके अधिपति मूल रूप से विशिष्ट विनियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले परिणामों से संबंधित थे, जो मौलिक प्रकृति के थे और उनसे उत्पन्न होने वाले परिणाम थे। इनमें से प्रत्येक वर्ग को निर्णय के पैराग्राफ नंबर 34 में निपटाया गया था, किसी भी और प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान के उल्लंघन को बिना किसी सूचना, बिना किसी अवसर और बिना किसी सुनवाई की श्रेणियों के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर आयोजित जांच या पारित आदेश को स्वचालित रूप से दूषित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। उनके लॉर्डशिप्स ने आगे टिप्पणी की कि निर्णय में निर्दिष्ट श्रेणियां किसी भी तरह से संपूर्ण होने का इरादा नहीं थीं। उनके प्रभुओं ने इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया कि कुछ मामलों में इस तरह के उल्लंघन से नियंत्रित पूर्वाग्रह स्वयं स्पष्ट होगा और पूर्वाग्रह का कोई सबूत नहीं होगा क्योंकि ऐसे मामलों के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है। इस शीर्ष के तहत इंगित किए गए वर्गों में से एक ऐसा मामला था जहां एक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली थी। उनके लॉर्डशिप्स ने यह कहने का निष्कर्ष निकाला कि ऑडी अल्टेरम पार्टेम का नियम लागू था। इसके अलावा उन्होंने माना कि प्रक्रियात्मक प्रावधानों के उल्लंघन को पूर्वाग्रह की कसौटी से जांचना होगा। यह एस. के. शर्मा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा निर्धारित कानून का सार और सार है।हम राम चंदर के मामले में पूर्ववर्ती सम-पीठ के निर्णय को कमतर करने के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई ठोस तर्क नहीं देख पा रहे हैं इसके विपरीत, हम पाते हैं कि प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद बनाम बी. करुणाकर के मामले में, उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने विशेष रूप से राम चंदर के मामले का उल्लेख किया था, हालांकि एक अलग संदर्भ में।

(30) अपीलीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों के समक्ष ऑडी अल्टेरम पार्टेम के नियम के पालन से इनकार करना स्वयं पूर्वाग्रह का तत्व दिखाएगा। सुनवाई से इनकार करने से अपराधी अधिकारी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होगा।

निष्पक्षता के सिद्धांत इस तरह के साझाकरण की मांग करेंगे क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अभिलेख विशाल हो सकते हैं, विभागीय कार्यवाहियों में दोनों पक्षों द्वारा गवाहों की संख्या की जांच की गई है और अपराधी अधिकारी मामले के अपने संस्करण और अपीलीय प्राधिकरण को अपने रुख को बहुत बेहतर और प्रभावी तरीके से समझाने में सक्षम हो सकता है यदि उसे सुनवाई की अनुमति दी गई थी। अपीलीय प्राधिकारी को बिना किसी उचित सहायता के पूरे अभिलेख की बारीकी से और गंभीर रूप से जांच करने से अलग करना स्पष्ट रूप से एक ऐसा दृष्टिकोण होगा जो व्यावहारिक या व्यावहारिक से अधिक कल्पनाशील है।

(31) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों की विभिन्न घोषणाओं ने समय-समय पर वैधानिक प्रावधानों में विशिष्ट शर्तों के अभाव में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उत्पन्न होने वाले ऐसे दायित्वों के अनुपालन की आवश्यकता पर खेद व्यक्त किया है। यह अपीलीय प्राधिकारी का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से और विवेक के उचित अनुप्रयोग पर पूर्ण और प्रभावी निर्णय दे। हमारा विचार है कि इस तरह की सुनवाई दूसरे पक्ष को कोई पूर्वाग्रह पैदा किए बिना संबंधित प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है।

(32) अपराधी अधिकारी को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना और प्राप्त निष्कर्षों और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड के संबंध में प्राधिकरण की अंतरात्मा को संतुष्ट करना, कानून के मूल नियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। यह अभिनिर्धारित करना कि उपर्युक्त विनियम ने ऐसी सुनवाई को आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा है, न्याय के प्रशासन के इन आवश्यक घटकों के विपरीत एक दृष्टिकोण होगा। व्यक्तियों के लिए नागरिक परिणामों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति के साथ निहित प्राधिकरण और विशेष रूप से एक अपीलीय प्राधिकरण, निष्पक्षता के हित में, जो प्रशासनिक कार्यों की आत्मा है, संबंधित पक्षों को सुनना चाहिए, जहां पक्ष इसकी मांग करता है। लॉर्ड डेनिंग, एम. आर. ने आर बनाम पर्यावरण के लिए राज्य सचिव एक्स पी नॉर्विच सिटी काउंसिल के मामले में कहा कि जब भी क़ानून के शब्द न्यायालय को अनुमति देते हैं और इसमें बिना किसी चूक के एक प्रावधान को पढ़ते हैं, तो शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार किए जाने के अलावा नहीं किया जाना चाहिए।

(33) कानून की विशिष्ट भाषा इस सिद्धांत के अनुप्रयोग को बाहर कर सकती है या नियमों के सख्त निर्माण पर बहुत कठिन और सम्मोहक कारण इसके बहिष्कार को उचित ठहरा सकते हैं, लेकिन पूर्ण और आवश्यक निहितार्थ के सिद्धांत पर। कम से कम कहने के लिए, इस जिम्मेदारी को उत्तरदाताओं द्वारा बिल्कुल भी नहीं निभाया जा सका। हमारे विचार के लिए ऐसा कोई कारण सामने नहीं रखा गया जो उत्तरदाताओं द्वारा की गई याचिका का समर्थन कर सके। आम तौर पर, इसे अर्ध-न्यायिक कार्रवाई की एक आवश्यक विशेषता के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में यह निष्पक्ष नहीं रहेगा।

(34) निष्पक्ष सुनवाई एक प्राधिकरण और विशेष रूप से अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिधारणा है। मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टेम के कई पहलू हैं लेकिन दो को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है, एक नोटिस मामले के प्रभावित पक्ष को दिया जाना है और दूसरा अवसर अपने स्वयं के संस्करण को समझाने का है। मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टेम या उसके अपवर्जन की प्रयोज्यता की संभावना का निर्धारण करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं द्वारा निर्देशित या विनियमित किया जा सकता है:

(i) महत्त्वाकांक्षा और जांच का दायरा;

(ii) निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण का दायित्व;

(iii) इस सिद्धांत के पालन या अन्यथा के परिणामस्वरूप दंड या संभावित न्याय या अन्याय की सीमा सहित ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सीमा क्या है, न्यायालय के लिए इस सिद्धांत को लागू करने या ऐसी कार्यवाही में इसके आवेदन को बाहर करने पर विचार किया जाएगा।

(35) उपरोक्त प्रशासनिक न्यायशास्त्र के अच्छी तरह से स्वीकृत सिद्धांत हैं। इस उक्ति के अनुप्रयोग को समझने की क्षमता में स्पष्ट रूप से अपराधी अधिकारी के दृष्टिकोण को घर लाने के लिए एक प्रस्तुति की एक व्यापक और अप्रत्यक्ष प्रस्तुति शामिल होगी। इस उक्ति के अपवर्जन की

कीमत पर विभागीय निर्णय की प्रक्रिया को छोटा करने के लिए किसी भी अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर न तो तर्क दिया जा सकता है और न ही उचित ठहराया जा सकता है। एक ओर, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और दूसरी ओर, आवश्यक निहितार्थ के सिद्धांत पर कानूनों की व्याख्या को विनियमित करने वाला कानून वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे अस्वीकार्य बना देगा।

(36) नियमों की योजना में देखे गए विनियमन 70 के प्रावधान इस बात का संकेत नहीं देते हैं कि विधायी इरादे का शीर्षक बहिष्करण है।मान लीजिए, सही भाषा के उपयोग से कोई विशिष्ट बहिष्करण नहीं है।प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सीमा, अपीलीय प्राधिकरण में निहित शक्ति की सीमा और इसके तहत द्वि-विभागीय प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार का दायरा।किसी भी मानक द्वारा विनियमन व्यापक परिमाण का होता है।इसके अपचारी अधिकारी पर गंभीर परिणाम होते हैं।संबंधित प्राधिकारी बर्खास्तगी के दंड को बहाली और इसके विपरीत में परिवर्तित कर सकता है।इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने मामले को सामने रखने का मौका मिलने से न केवल ऐसे अपचारी अधिकारी को सुने जाने का संतोष मिलेगा, बल्कि इस तरह की कार्रवाई में निष्पक्षता के मूल सिद्धांत को भी संतुष्ट करेगा।आत्मविश्वास की कमी का अदृश्य लेकिन निश्चित तत्व समाप्त हो जाएगा।ऐसी कार्यवाहियों में न्याय के प्रशासन की पूरी प्रक्रिया के लिए इसका एक दोहरा लाभ होगा (i) कि संबंधित प्राधिकारी मामले की बारीकियों को समझने और निर्धारित करने के लिए बेहतर तरीके से उजागर होगा और इसके समर्थन में पर्याप्त कारण देगा।इसके निष्कर्ष, (ii) यह स्पष्ट रूप से प्रक्रिया को लाभान्वित करेगा और अंततः सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष उठाए जा रहे अनावश्यक विवादों को कम करेगा।

(37) रिकॉर्ड पर आधारित सहायता और तर्कपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ किसी भी सहायता के बिना रिकॉर्ड की केवल सराहना और जांच का प्राधिकरण के दिमाग पर पूरी तरह से अलग प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके अंतिम परिणाम पर हो सकता है। सेवा से बर्खास्तगी या रेम ओवल सबसे कठोर सजा है जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकरण लगा सकता है। इस प्रकार, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच कानून और निष्पक्षता के

कठिन परीक्षणों से गुजरनी चाहिए^ दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तरह के दंड के अधिरोपण से उत्पन्न होने वाली असुविधा और कठोर वास्तविकताओं का तर्क संबंधित प्राधिकारी के दिमाग को प्रभावित कर सकता है और यह दर्शाता है कि दंड दिया जाना या उस पर लगाया जाना, कारणों और निष्पक्षता के लिए निर्देशित नहीं है और मनमाना है। यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियां अनुमति देती हैं, तो कानून इसकी अनुमति देने के बजाय इस तरह के परिणाम से बचने में सहायता करेगा। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए तर्क तर्क के प्रकाश में छिपे हुए और अस्पष्ट तर्क ला सकते हैं, उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं और न्याय और निष्पक्ष खेल के अनुरूप निर्धारण में मदद कर सकते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण कोई नया नहीं है और इसे बहुत पहले अधिकतम Argumenta ignota et obsCura ad lucem rationis proferunt et reddunt splendida (तर्क छिपी और अस्पष्ट चीजों को तर्क के प्रकाश में लाते हैं और उन्हें स्पष्ट करते हैं) में स्वीकार कर लिया गया था |

(38) एक अन्य कारण यह है कि वर्तमान में अपीलीय प्राधिकरण ऐसे हैं जो अर्ध-न्यायाधीशिक कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार, उन्हें प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।प्रशासक, यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जनहित में क्या अधिक समीचीन और वांछनीय समाधान है और इसमें कार्य करने से अधिक जनहित में क्या कहा जा सकता है।निष्पक्षता की अवधारणा के साथ सहमतिःसंबंधित प्राधिकारी उन मामलों के संबंध में निर्णय लेना सुनिश्चित करता है जो अपचारी अधिकारी को गंभीरता से प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं और उसे नागरिक परिणाम भी दिए जाएंगे।अपचारी अधिकारी ऑडी अल्टेराह पार्टेम के सिद्धांत द्वारा संरक्षित प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों से उत्पन्न दायित्व पर सुनवाई के अधिकार की मांग करने में उचित होगा।सुनवाई के अधिकार का आंतरिक मूल्य यह है कि यह उस व्यक्ति या समूह को अवसर देता है जिसके खिलाफ अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना है जिसके द्वारा उनकी स्थिति की गरिमा व्यक्त की जाती है।इस अधिकार का सहायक पहलू यह है कि यह आचरण के सार्वजनिक नियमों को बनाए रखने का आश्वासन देता है जिसके परिणामस्वरूप लाभ और पूर्वाग्रह समान रूप से होते हैं और उनका सटीक और लगातार पालन किया जाता है।

(39) अपराधी अधिकारी के खिलाफ उसे दी गई सजा की पुष्टि या संशोधन करने से पहले, उसे सुनवाई देने के लिए न्यूनतम राशि होगी जिसे परोपकारी राज्य को मंजूरी देने की आवश्यकता होगी। पूर्वाग्रह के प्रश्न के संबंध में, कानून की सुसंगत स्थिति यह है कि वास्तविक सुनवाई से इनकार करने से संबंधित व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है जिसके खिलाफ आदेश पारित होने की संभावना है। एस. एल. कपूर बनाम जगमोहन और अन्य के मामले में, ऑडी अल्टेरम पार्टेम के सिद्धांत के उल्लंघन के मामलों में पूर्वाग्रह के तत्व को ऐसा माना गया था जिसे पूर्वाग्रह के किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपने विचार व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप्स ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस बात को जानते हैं कि कोई बहिष्करण नियम नहीं है जो इस बात पर निर्भर करता है कि यदि प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाता तो इससे कोई फर्क पड़ता या नहीं। प्राकृतिक न्याय का पालन न करना स्वयं किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह है और प्राकृतिक न्याय के इनकार के प्रमाण से स्वतंत्र रूप से पूर्वाग्रह का प्रमाण आवश्यक नहीं है। यह उस व्यक्ति से बुरा है जिसने न्याय से इनकार किया है कि जिस व्यक्ति को न्याय से वंचित किया गया है वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है।"

(40) एस. के. शर्मा के मामले में भी उनके प्रभुओं ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था कि सुनवाई नहीं करने की श्रेणी प्रक्रियात्मक कानून के उल्लंघन में आएगी जो पूर्वाग्रह के किसी भी प्रमाण की मांग नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, सभी मामलों में सुनवाई के अधिकार से इनकार करने से अपराधी अधिकारी के प्रति निश्चित पूर्वाग्रह पैदा होना तय है। पूर्वाग्रह के तत्व का स्वतः पता चल जाएगा क्योंकि इस श्रेणी में दो मामले नहीं हो सकते हैं, एक जहां पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है और दूसरा जहां कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हो सकता है। प्रत्येक मामले में अपीलीय प्राधिकारी के पास अभिलेख, अनुशासनात्मक प्राधिकारी की टिप्पणियां और संभवतः अपील के आधार होने के लिए बाध्य है। बुनियादी आवश्यकता दोनों पक्षों की सहायता से या ऐसी सहायता के बिना दिमाग का उपयोग करना है। जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं कि अधिकारियों को अपराधी अधिकारी की सुनवाई करने की

आवश्यकता है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के ऐसे अवतार को विनियमन 70 में पढ़ना होगा। इससे इनकार करना ऑडी अल्टेरम पार्टेम के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और इप्सो फैक्टो अपराधी अधिकारी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने के बराबर होगा।

(41) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रावधानों का अनुपालन प्रशासनिक निर्णयों के चक्र को कानून के मूल नियम के अनुरूप रखने के लिए एक लिंचपिन के रूप में कार्य करता है। सजा देने का अधिकार संबंधित अधिकारियों पर अपने अर्ध-न्यायिक कार्यों के निर्वहन में न्याय के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों के लिए एक समान दृष्टिकोण रखने का भारी बोझ डालता है। अपराधी अधिकारी की वास्तविक भागीदारी से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करना और उसे सुनना न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नष्ट करने के बराबर होगा, बल्कि राज्य और उसके कर्मचारियों जैसे नियोक्ता के सामंजस्यपूर्ण संबंधों को नष्ट कर देगा। यह असंतोष और संदेह के तत्व को जन्म देगा जो ऐसे प्राधिकरणों या न्यायाधिकरणों के कामकाज को अव्यवस्थित बना सकता है और राज्य या प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता की विकृत और स्वस्थ तस्वीर को भी विकृत कर सकता है।

(42) प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों को ऐसे वैधानिक प्रावधानों में पढ़ना आज की बुनियादी आवश्यकता है क्योंकि प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उद्देश्य मुख्य रूप से न्यायाधीश को बढ़ावा देना और किसी भी प्रशासनिक या अर्ध-न्यायाधीशिक निर्णयों में अन्यायाधीश को रोकना है, समानता का संतुलन और परीक्षण या पूर्वाग्रह दोनों एक कर्मचारी के पक्ष में झुकते हैं और ऐसे वैधानिक प्रावधानों को कानून के मूल नियम के अनुरूप पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

(43) एक अन्य कारण जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हमारे द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कानून के तय किए गए सिद्धांतों के अनुरूप है, वह यह है कि बी. करुणाकर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार करते हुए कि क्या जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति किसी कर्मचारी को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, यहां तक कि जहां अनुशासनात्मक जांच करने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले वैधानिक नियम

मौन हैं और यह इंगित नहीं करते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से एक दायित्व है जो निम्नानुसार हैः—

> "चूँकि जाँच अधिकारी की रिपोर्ट को अस्वीकार करना उचित अवसर से इनकार करना और प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का भंग है, इसलिए यह माना जाता है कि वैधानिक नियम, यदि कोई हैं, जो कर्मचारी को रिपोर्ट देने से इनकार करते हैं, वे प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इसलिए, रिपोर्ट की एक प्रति के हकदार होंगे, भले ही वैधानिक नियम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हैं या इस विषय पर चुप हैं।"

(44) इस समय हम नारायण चंद्र जेना बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण और अन्य के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ की टिप्पणियों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो इस प्रकार हैंः—

> "यह सच है कि धारा 50 सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान नहीं करती है। लेकिन ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम सार्वभौमिक अनुप्रयोग का है और कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई क़ानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बारे में चुप रहता है, तो नियम को क़ानून में एक अंतर्निहित प्रावधान के रूप में पढ़ा जाएगा। नियम को उन सभी मामलों में एक आवश्यक अभिधारणा माना जाना चाहिए जहां किसी व्यक्ति के अधिकारों या हितों को प्रभावित करने वाला निर्णय लिया जाना है, जब तक कि इस तरह के नियम को प्रासंगिक क़ानून द्वारा विशेष रूप से बाहर नहीं किया जाता है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्राकृतिक न्याय का पालन करने में विफलता को केवल इसलिए उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि निर्णय लेने की शक्तियों के साथ निहित प्राधिकरण की राय है कि इस तरह का अवसर देना व्यर्थ की कवायद होगी क्योंकि दोषी व्यक्ति के पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। प्राकृतिक न्याय का पालन न करना अपने आप में एक पूर्वाग्रह है और प्राकृतिक न्याय से इनकार के कारण पूर्वाग्रह का स्वतंत्र प्रमाण अनावश्यक है।"

(45) एस. एल. लूना बनाम पंजाब नेशनल बैंक और एक अन्य के

मामले में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के कुछ समान नियम (विनियम 17) की व्याख्या करते हुए स्वीकार किया कि अपीलीय प्राधिकारी अपराधी अधिकारी को सुनवाई प्रदान करने के लिए बाध्य था। इसी तरह का विचार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम राम गोपाल गुप्ता और अन्य मामलों में भी लिया गया था। एस. सी. गिरोतरा बनाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय में और साथ ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा एस. एल. ठाकुर बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य शीर्षक से हाल ही में घोषित निर्णय में ऑडी अल्टेरम पार्टेम के सिद्धांत को इस तरह के प्रावधानों में पढ़ने की आवश्यकता को बरकरार रखा गया था।

(46) दूसरी ओर, एम. एस. चौहान बनाम भारतीय स्टेट बैंक के मामले में इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा व्यक्त किया गया मत यह है कि एक अपराधी अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक पर्यवेक्षण कर्मचारी सेवा नियम, 1975 के नियम 51 (2) को ध्यान में रखते हुए अपीलीय स्तर पर व्यक्तिगत सुनवाई का हकदार नहीं था। लेकिन यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से राम चंदर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप नहीं है। दूसरा, फैसले के पैराग्राफ नंबर 10 में बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार के अलावा उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं दिया गया है। वास्तव में पीठ इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि आवश्यक निहितार्थ से सुनवाई के अधिकार को बाहर रखा गया था। इसने केवल इतना कहा कि उप-नियम यह संकेत नहीं देता है कि अपीलीय प्राधिकरण अपराधी को व्यक्तिगत सुनवाई देने के लिए बाध्य है। रिलायंस को कार्यकारी अभियंता बनाम रंगधर मलिक के मामले में प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह तर्क देने के लिए भी रखा गया था कि सुनवाई प्रदान करना आवश्यक नहीं था जिसके लिए कोई वैधानिक प्रावधान प्रदान नहीं किए गए थे। जन्मतिथि के सुधार के लिए अभ्यावेदन को अस्वीकार करने की तुलना विभागीय कार्यवाहियों में बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के दंड के अधिरोपण के साथ नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके अधिपतियों ने मामले के तथ्यों में आदेश पारित किया था क्योंकि उनके अधिपतियों का विचार था कि भले ही अपील में प्रत्यर्थी की जन्म तिथि 27 नवंबर, 1938 मानी गई हो, फिर भी वह सेवा में शामिल होने के समय पांच वर्ष से अधिक आयु का होगा और वह अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है और उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था।

(47) वनहीन कारणों से हमारा विचार है कि राम चंदर के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून अभी भी लागू है। इसके अलावा, हमारा विचार है कि विनियमन 70 की भाषा पर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपराधी अधिकारी को अपीलीय स्तर पर सुनवाई के लिए कहने का अधिकार होगा। ऐसा अधिकार आवेदक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से प्राप्त होता है। ऑडी अल्टेरम पार्टेम के सिद्धांत का गैर-पालन जहां अपराधी अधिकारी द्वारा इसकी मांग की जाती है, अपराधी अधिकारी के मामले के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा और इस तरह की व्यापक शक्तियों और विवेकाधिकार का प्रयोग करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

(48) कानून के विवादित प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर देने के बाद अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हैं। याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के दंड का आदेश 25 अप्रैल, 1985 को पारित किया गया था और इस आदेश के खिलाफ अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 18 जुलाई, 1986 को अपीलार्थी को सुने बिना स्वीकार किया गया था। प्रत्यर्थियों की ओर से दायर जवाब में और यहां तक कि दलीलों के दौरान भी प्रत्यर्थियों के लिए विद्वत वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति जो 68 पृष्ठों में चलती है, अपराधी अधिकारी को 25 अप्रैल, 1985 के सेवा से हटाने के आदेश के साथ प्रस्तुत नहीं की गई थी। संबंधित अधिकारी द्वारा की गई अपील के आधार पर अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई थी और न ही विवादित अपीलीय आदेश उस अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण देता है। स्वीकार किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को रिपोर्ट की सामग्री जानने और साक्ष्य की सराहना, जांच अधिकारी के निष्कर्षों की शुद्धता और सजा की मात्रा के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लाभ से वंचित किया गया था। इन परिस्थितियों में, हमारे मन में यह अभिनिर्धारित करने में कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय स्तर पर और विशेष रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सुनवाई के अधिकार से इनकार करने से अपीलार्थी को एक निश्चित पूर्वाग्रह हुआ था।

(49) भारत संघ बनाम मोहम्मद रमजान खान और ईसीआईएल हैदराबाद के प्रबंध निदेशक बनाम बी. करुणाकर के मामले पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने तर्क दिया कि जुर्माने के आदेश को

पारित करने से पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अकेले और अनिवार्य रूप से उपलब्ध नहीं कराने के परिणामस्वरूप विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को पिछले वेतन के साथ बहाल किया जाना चाहिए। हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि मोहम्मद रमजान के मामले को इसके संचालन में संभावित माना गया था। इस सिद्धांत को बी. करुणाकर के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया था (supra). इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अस्वीकार करना उचित अवसर से इनकार करने के बराबर होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, कहा कि रमजान कान का मामला इसके संचालन में संभावित था और 20 नवंबर, 1990 के बाद पारित आदेशों पर लागू था। रमजान खान के मामले में निर्णय की अवधि से पहले के मामलों में यह प्रयोज्यता और राहत का अनुदान प्रति मामले प्रति इनक्यूरियम माना गया था। उनके अधिपतियों ने यह कानून भी निर्धारित किया कि न्यायालयों के लिए यह बहुत उचित नहीं होगा कि वे रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति न होने के मामलों में पूर्वाग्रह के प्रश्न में गए बिना यांत्रिक तरीके से बर्खास्तगी के आदेशों को दरकिनार कर दें।

(50) हम इस मुद्दे पर किसी और स्पष्टीकरण के साथ चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं? कारण कि आदेश या जुर्माना पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की गई थी। दूसरा, जब इसकी आपूर्ति की गई थी, तो फिर से स्वीकार किया गया कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि इसने याचिकाकर्ता के मामले में निश्चित पूर्वाग्रह पैदा किया है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

(51) याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि मोहम्मद रमजान खान से पहले की अवधि किसी भी मामले में राम चंदर के मामले में पूरी तरह से शामिल होगी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दावा की गई राहत का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने से आम तौर पर विवादित आदेश दूषित हो जाता है। किसी भी मामले में ऐसा कोई पहलू नहीं होगा जहां अपराधी अधिकारी को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया था और अपराधी

अधिकारी को भी पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है। वास्तव में यह उस तरह का पूर्वाग्रह है जिसे आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है जैसा कि हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अमरजीत सिंह बनाम पंजाब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के मामले में दिया गया भरोसा अच्छी तरह से स्थापित है। राम चंदर का मामला आज पूरी तरह से क्षेत्र में है और वास्तव में न तो अति-शासित किया गया है और न ही उस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों और उनकी प्रयोज्यता में काफी कमी आई है। किसी भी मामले में, सुनवाई से इनकार करने और उचित स्तर पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति न करने से याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए आक्षेपित आदेश को उत्तरदायी बनाता है।

(52) हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 23 अप्रैल, 1995 को प्रबंध निदेशक द्वारा पारित दंड का आक्षेपित आदेश न केवल एक संदर्भ देता है, बल्कि स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महाप्रबंधक (संचालन) की सिफारिश को विधिवत ध्यान में रखा गया था। इस संबंध में आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पढ़ा जाता है -

> "मैंने मामले में महाप्रबंधक (संचालन) अनुशासन प्राधिकरण की सिफारिशों पर भी विचार किया है। श्री बंसल के खिलाफ जांच में साबित/आंशिक रूप से साबित किए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्होंने प्रबंधन का विश्वास खो दिया है और वह बैंक की सेवा में रखे जाने के लायक नहीं हैं। पूरे मामले में अपने दिमाग को निष्पक्ष रूप से लागू करने के बाद, मैंने श्री राम निवास बंसल पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियमन 67 (जी) के संदर्भ में बैंक की सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। तदनुसार मैं आदेश पारित करता हूं और श्री बंसल को बैंक की सेवा से हटा देता हूं। तत्काल प्रभाव से उपरोक्त विनियम। आदेशों की एक प्रति श्री बंसल को प्रदान की जाए।"

(53) हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि जैसा कि पूर्व में निर्दिष्ट महाप्रबंधक की टिप्पणियों की प्रति कभी भी अपराधी अधिकारी को नहीं दी

गई थी, इसलिए उन्हें कभी भी इस दस्तावेज़ को देखने का अवसर नहीं मिला, जिसे स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से विचार में लिया गया है। विवादित आदेश सभी 3 आरोप पत्रों का संचयी परिणाम है और महाप्रबंधक की टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से मुद्दे से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता को ऐसे भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत न करना भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। कल्पना के किसी भी विस्तार से यह स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि याचिकाकर्ता के पीछे तैयार किए गए दस्तावेज़, जिसकी प्रति स्वीकार्य रूप से उसे नहीं दी गई थी, को सजा के आदेश का आधार बनने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से निष्पक्ष खेल के विपरीत होगी। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम डी. सी. अग्रवाल के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है और दूसरा जहां न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है -

"आदेश को शक्ति के यांत्रिक प्रयोग या जांच रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति के कारण दूषित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी सामग्री पर भरोसा करने और कार्रवाई करने के लिए जो न केवल अप्रासंगिक थी।लेकिन गौर नहीं किया जा सका।दस्तावेज़ की आपूर्ति का उद्देश्य इसकी सत्यता का विरोध करना या स्पष्टीकरण देना है।सजा देने से पहले पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति के प्रभाव में जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही नियम 5 की वैधता पर विचार करना आवश्यक है।लेकिन सी. वी. सी. की सिफारिश की गैर-आपूर्ति, जो प्रतिवादी की भागीदारी के बिना उसकी पीठ के पीछे तैयार की गई थी और कोई नहीं जानता कि कौन सी सामग्री जिसे न केवल अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजा गया था, बल्कि जांच की गई थी और जिस पर भरोसा किया गया था, निश्चित रूप से प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उल्लंघन था और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच के विपरीत था।"

(54) इस दस्तावेज़ की आपूर्ति न होने से निश्चित रूप से याचिकाकर्ता की आसानी के लिए निश्चित रूप से पूर्वाग्रह पैदा हुआ। याचिकाकर्ता को जनरल मैनेजर की सिफारिश में उठाए गए बिंदुओं पर टिप्पणी करने या उन्हें पूरा करने का पूरा अधिकार था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में अपराधी

अधिकारी को उचित और उचित अवसर से वंचित किया जाता है। अपराधी अधिकारी को यह भी पता नहीं था कि उसे किस मामले में मिलना है जैसा कि महाप्रबंधक की सिफारिशों की रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था, जिस पर अधिकारियों ने उसे दंडित करते समय विचार किया था।

(55) हमारी उपरोक्त चर्चा का संचयी प्रभाव यह है कि दिनांक 25 अप्रैल, 1985 और दिनांक 18 जुलाई, 1986 के दंड के आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें हम बिना किसी हिचकिचाहट के रद्द करते हैं। हालांकि, हम अनुशासनात्मक प्राधिकरण को याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट का जवाब देने का अवसर देने और कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद उचित आदेश पारित करने का निर्देश देंगे। इस याचिका को तदनुसार उस सीमा तक अनुमति दी जाती है, लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

कहखोदा (सोनीपत) हरियाणा